

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

काष्ठ बनाम गांग्र

केसम मुकदमा ता. १७ नं० ७७ सन् २०१४

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयला जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
3-18	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक २३-१०-१४ को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
30-8-18	<p>पत्रावली सिंगह से लखन की गई वकील वरि का प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील वरि उपस्थित पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने बताया कि हमारे हीनो पक्षो के बीच राजीनामा हो चुका है। अब वादी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। वाद पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर सम्मन किया। व्ययहित मे वकील वरि का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के वाद पत्र मे आपसी राजीनामा हो जाने से अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर स्वारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फँसब शुमार होकर दफ्तर दारिखल हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	<p>काष्ठ पत्रावली नं० १५ ३०/८/१४</p>